उत्तर प्रदेश सरकार
श्रम अनुभाग–2
संख्या–1412/36–2–2009–251(एस0एम0)/95
लखनऊःदिनांकः 20, नवम्बर, 2009

अधिसूचना

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के नियम 2 के उप नियम (एफ)एवं (जी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और नियमावली के नियम 7 के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम–1996 की धारा 5 के अधीन परिकल्पित कर्तव्यों औरदायित्यों के निर्वहन के उद्देश्य से श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ संख्या(2) में उल्लिखित अधिकारियों को स्तम्भ संख्या(3) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार की उनकी स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत शासकीय ,अर्द्धशासकीय अभिकरणों,निगमों,सहकारी समितियों,निजी संस्थाओं,कम्पनियों,फर्मों या निर्माण अभिकरणों आदि द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन समस्त भवनों एवं सन्निर्माण कार्यो पर तथा रूपया 10 लाख और उससे अधिक के निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवासों पर भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम–1996(अधिनियम संख्या–28 सन् 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण हेतु इसमें उल्लिखित अनुसूची के स्तम्भ संख्या–4 एवं 5 में विर्निदिष्ट **'निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्राहक'** के रूप में नियुक्त करते हैं;–

कम सं0	अधिकारी का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रदत्त शक्तियां	
			उपकर निर्धारण अधिकारी	उपकर संग्राहक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	समस्त जिलाधिकारी(या जिला अधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत मुख्य विकास अधिकारी एवं/अथवा अपर जिलाधिकारी,वित्त एवं राजस्व)	जिले के अन्तर्गत भौगोलिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर निर्मित अथवा निर्माणधीन समस्त भवन या अन्य निर्माण कार्य जो उपकर अधिनियम और तदधीन बनाये गये उपबन्धों के अधीन है।	निर्धारण अधिकारी	उपकर संग्राहक

यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्त निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्राहक अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर बिना किसी वित्तीय सीमा के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम–1996 की धारा 3 की उपधारा (1)के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या –एस–61011/9/95–आर0डब्लू0, दिनांक 12.10.1996 द्वारा यथाप्राधिकृत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर निर्धारित करेंगे।

जिलाधिकारियों को अपने उक्त परिकल्पित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में जिले में तैनात श्रम विभाग के क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात सहायक श्रम आयुक्त एवं शेष जनपदों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सचिवालयीय सहयोग एवं सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

[illegible] यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समस्त निर्माता/नियोजक, भवन स्वामी, [illegible]कर्ता, प्रवर्तक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली-1998 के नियम-7 के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 की धारा-4 के अधीन निर्धारित प्रपत्र-1 पर विवरणी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करेंगे।

आर0 सी0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या-1412 (1)/36-2-2009-251(एस0एम0)/95-तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को आज दिनांक 20,नवम्बर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी, श्रम अनुभाग-2, बापू भवन लखनऊ उ0प्र0 शासन एवं 200 मुद्रित प्रतियाँ श्रमायुक्त,उ0प्र0 कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या-1412 (2)/36-2-2009-251(एस0एम0)/95-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 द्वारा श्रमायुक्त, उ0 प्र0
3- समस्त जिलाधिकारी। द्वारा श्रमायुक्त, उ0 प्र0
4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।